संख्या 1209/II-2008-03(18)/08

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 12 जून 2008

विषय :वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.03.08 के क्रम में आपके पत्र संख्या 1614/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 सामान्य दिनांक 08.04.08 एवं पत्र संख्या 1615/मु0अ0वि0 बजट/बी-1 सामान्य दिनांक 08.04.08 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2008-09 में आयोजनागत मद में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत कुल रूपये 348.50 (रूपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के प्रतिबन्धाधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

3- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

7- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

क्रमश.....2

8– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2009 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

12– धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय 542/XXVII(2)/2006, दि0 5.6.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 1208 /II–2008–03(18)/08,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–2
4– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार/पौड़ी उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 1208 / II–2008–03(18)/08 दिनांक 12.06.09 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
	राज्य सैक्टर	
1	अनुदान संख्या–20, आयोजनागत, मतदेय 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16–हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 01–गंगा नहर सेवा मार्ग 24–वृहद् निर्माण कार्य	200.00
2	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण 03–निर्माण कार्य 24–वृहद् निर्माण कार्य	31.00
3	004–शोध कार्यक्रमों का विस्तार 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	56.00
4	006–परिकल्प तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	62.50
	योग राज्य सैक्टर	348.50

(रूपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव